

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 31/2016

निर्णय दिनांक : 18.10.2023

1. म्हौरी लाल पुत्री श्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. महादेव पुत्र श्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

3. उप पंजीयक सांगानेर द्वितीय पता- नगर निगम रोड सांगानेर जयपुर।

वाद पत्र बाबत तकासमाएवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 111 एवं 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम

वादी ने वाद पत्र बाबत तकासमाएवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 111 एवं 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम का पेश किया। न्यायालय द्वारा वादी केवाद में दिनांक 06.01.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि मिट्स एण्ड बाउड्स एवं मुताबिक राजस्व रिकार्ड कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा तैयार कर न्यायालय में दिनांक 13.07.2023 से पूर्व भिजवाया जावे। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियो मे पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमाक भू0अ0/2023/डिक्री/7078 दिनांक 06.10.2023 के संलग्न कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने कुर्रजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं की। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट का अधोपान्त अवलोकन करने व बहस का सगौर मनन करने पर वाद वादीगण तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके ग्राम मुहाना, पटवार हल्का मुहाना, भू0अ0नि0क्षे0 मुहाना, तहसील सांगानेर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 101 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नम्बर 153 रकबा 0.61 हैक्टेयर का तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है-

| राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज | | | | | |
|--|------------|---------------|-------|--------|---|
| क्र.सं. | खसरा नम्बर | रकबा | लगान | किस्म | खातेदारों का नाम व पिता का नाम |
| 1 | 10 | 0.49 हैक्ट | 17.64 | चाही 1 | महादेव पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/4 जाति बैरवा सा. देह खातेदार म्होरीलाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 3/4 जाति बैरवा सा. देह खातेदार |
| | 153 | 0.61 हैक्ट | 21.96 | चाही 1 | महादेव पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 211/244 जाति बैरवा सा. देह खातेदार म्होरीलाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 33/244 जाति बैरवा सा. देह खातेदार |

प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज

| क्र. सं. | प्रस्तावित खातेदार | प्रस्तावित ख.न. | प्रस्तावित रकबा | किस्म | नक्शे में रंग |
|----------|--|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | म्होरीलाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा सम्पूर्ण जाति बैरवा सा. देह खातेदार | 153 मि. 101 मि. | 0.0825 0.3675 | चाही 1 चाही 1 | पीला |
| | कुल किता | 2 | 0.4500 | | |
| 2 | महादेव पुत्र जगन्नाथ हिस्सा सम्पूर्ण जाति बैरवा सा. देह खातेदार | 153 मि. 101 मि. | 0.5275 0.1225 | चाही 1 चाही 1 | नीला |
| | कुल किता | 2 | 0.6500 | | |

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुरेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2023 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(महीमाल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 31/2016

निर्णय दिनांक : 18.10.2023

1. म्हौरी लाल पुत्री श्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. महादेव पुत्र श्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर
3. उप पंजीयक सांगानेर द्वितीय पता- नगर निगम रोड सांगानेर जयपुर।

वाद पत्र बाबत तकासमाएवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 111 एवं 128 राज0 मू0 राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाके ग्राम मुहाना, पटवार हल्का मुहाना, भू0अ0नि0क्षे0 मुहाना, तहसील सांगानेर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 101 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 153 रकबा 0.61 हैक्टेयर का तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

| राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज | | | | | |
|--|------------|---------------|-------|--------|---|
| क्र.सं. | खसरा नम्बर | रकबा | लगान | किस्म | खातेदारो का नाम व पिता का नाम |
| 1 | 10 | 0.49 हैक्ट | 17.64 | चाही 1 | महादेव पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/4 जाति बैरवा सा. देह खातेदार म्हौरीलाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 3/4 जाति बैरवा सा. देह खातेदार |
| | 153 | 0.61 हैक्ट | 21.96 | चाही 1 | महादेव पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 211/244 जाति बैरवा सा. देह खातेदार म्हौरीलाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 33/244 जाति बैरवा सा. देह खातेदार |

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

| प्रस्तावित कुरेजात इन्काज | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| क्र. नं. | प्रस्तावित खातेदार | प्रस्तावित ख.न. | प्रस्तावित रकबा | किस्म | नक्शे में रंग |
| 1 | महोरीलाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा सम्पूर्ण जाति बैरवा सा. देह खातेदार | 153 मि. 101 मि. | 0.0825 0.3675 | चाही 1 वाही 1 | पीला |
| | कुल किता | 2 | 0.4500 | | |
| 2 | महादेव पुत्र जगन्नाथ हिस्सा सम्पूर्ण जाति बैरवा सा. देह खातेदार | 153 मि. 101 मि. | 0.5275 0.1225 | चाही 1 चाही 1 | नीला |
| | कुल किता | 2 | 0.6500 | | |

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुरेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.10.2023 को जारी की गई।

मुहर

उपरोक्त अधिकारी
जयपुर जिला (सांगानेर)
ओहदा

| मुदई | रुपये | पैसे | मुदायलह | रुपये | पैसे |
|----------------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 1 | 00 | स्टाम्प अर्जी दावा | 1 | 00 |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| | | मीजान | | | मीजान |

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपरोक्त अधिकारी
जयपुर जिला (सांगानेर)